न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरजसिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023	08.03.2023	22–8–2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

1–श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट चेनपुरा तह0 निवाई जिला–टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी टावर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0

2– मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी टावर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0

......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii)(V),एवं दण्डनीय धारा 51 व 58(सहपटित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।

2–अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 22–8–2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20–12–2022 को समय 4.00 पी.एम. पर मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी टावर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने स्वयं को मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी टावर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान के गौदाम में घी कृष्णा ब्राण्ड 15–15 किलोग्राम के पेक में 6 टिन पेक्ट अवस्था में **(कृष्णा ब्राण्ड)** दुकान के गोदाम में मूल पैक रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विकेता श्री कृष्ण कुमार शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विकेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विकेता श्री कृष्ण कुमार शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को बताकर कि यह **घी कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विकेता को नगद 336/रूप्ये देकर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **घी कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark)** 800 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 200–200 ग्राम भरकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3399 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–3399 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **घी कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark)** का नमूना कय करते समय श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट चेनपुरा तह0 निवाई जिला–टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी टावर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 672 दिनांक 28–12–2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 3587 / एक्ट / 2022 / 3662 दिनांक 27–12–2022 के अनुसार विक्रेता श्री कृष्ण कुमार शर्मा से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया **घी कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)o** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं0 237(2) के अनुसार (**कॉन्ट्रावेन**) स्तर का होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी **घी कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व (कॉन्ट्रावेन) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस को सुना एंव मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Krishna Agmark)** नमूना जांच अवमानक **(Sub-Standard)** व **(कॉन्ट्रावेन)** स्तर का होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट चेनपुरा तह0 निवाई जिला–टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी बालाजी टावर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति रूपये 25000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22–8–2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22–8–2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 [illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक